रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 116
No. 141] DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938, [N.C.T.D. No. 116

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

फ. सं. 61(812)/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/दिल्ली बाल कल्याण निधि/11011–11026.––किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 105 और 110 तथा उपधारा 59 के अंतर्गत दिल्ली बाल कल्याण निधि नियम, 2008 के अधिक्रमण में तथा इस अधिनियम के अंतर्गत किये गए पूर्व कार्यों का अधिक्रमण करते हुए उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली बाल कल्याण निधि को सुचारू रूप से प्रशासित करने हेतु निम्न नियमों का गठन करते है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली बाल कल्याण निधि नियम, 2016 है।

(2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं:–

(1) जब तक इन नियमो में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''अधिनियम'' का अर्थ है किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) है।

(ख) ''खाता'' का अर्थ है बचत बैंक खाता (एसबीए) जो भारतीय स्टेट बैंक आई.पी.स्टेट नई दिल्ली–110002 जिसका खाता नं. 30269984245 दिल्ली बाल कल्याण निधि के नाम से खोला गया है।

(ग) ''निधि'' का अर्थ है किशोर न्याय निधि जिसे दिल्ली बाल कल्याण निधि कहा जाएगा (इसें ''निधि'' कहा जाएगा) जिससे उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत बालकों का कल्याण और पुनर्वास का कार्य किया जाएगा। यह निधि वित और व्यय विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ. 61

(जेजेएफ)/ऐडी–1/डीएसडब्ल्यू/2007–08/8061–79 दिनांक 11 अक्टूबर 2007 के स्वीकृति से बनाया गया था। (यू.ओ. नं.–1006 दिनांक 5 अक्टूबर 2007)

(2) शब्द और भाव जो अधिनियम में परिभाषित किये गए हैं और प्रयोग किये जाते हैं लेकिन इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गए हैं ये नियम अधिनियम में एक ही अर्थ रखते हैं जैसा इस अधिनियम में निर्धारित है।

3. लक्ष्य और उद्देश्य :– निधि निम्न प्रयोजन के लिए लागू की जाएगी :

(क) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के कल्याण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन का कार्यान्वयन करने के लिए।

(ख) गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान भुगतान करने के लिए।

(ग) अन्य सभी चीजें जो प्रासंगिक और उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

4. निधि के स्रोत– इस निधि की सम्पत्ति में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार या केन्द्र या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी सांविधिक या गैर–सांविधिक निकायों से समस्त ऐसे अनुदानों या अंशदानों आवर्ती या अनावर्ती और साथ ही किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त स्वैच्छिक संदान सम्मिलित होंगे।

5. निधि के प्रबंधन–

(क) सभी अनुबंध और आश्वासन दिल्ली बाल कल्याण निधि के नाम से कार्यावन्त/निष्पादित किए जाएंगे और महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक और एक वरीष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(ख) विभाग के निदेशक व्यय करने और स्रोत से धन स्वीकार करने हेतु उपरोक्त नियम 4 के द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये जाएंगे।

(ग) निधि समेकित बाल संरक्षण संस्था प्रक्रिया के तर्ज पर संयोजित किये जाएगें, और लेखांकन प्रक्रिया संस्था प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(घ) निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग संपत्ति की बिक्री अथवा निपटारों से मिलने वाली धनराशि तथा निधि के उदेश्यों की प्राप्ति के लिए जो सम्पति तत्काल उपयोग में न हो या धन को जरूरत पडने पर न्यास धन के निवेशों के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी एक अथवा एक से अधिक निवेशों के लिए इस्तेमाल करेंगे।

(ड) सरकारी अनुदानों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से अर्जित परिसंपत्तियां/संपत्तियां जो जीएफ नियमावली में निर्धारित पद्धति के अनुसार तथा सेवा के उपयुक्त नहीं है अथवा अनुपयुक्त घोषित की गई है, को छोडकर उस प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उनका निपटान नहीं किया जा सकेगा, जिसके द्वारा सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(च) सभी राशियों का आहरण/हस्तांतरण चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रॉसफर द्वारा किया जाएगा, जैसा भी विभाग के निदेशक और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(छ) निधि के सभी धन और सम्पतियों, सभी आय और व्यय का नियमित लेखा रखा जाएगा और चार्टर्ड एकाउटेंट की अधिसूचित फर्म या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्राधिकारियों द्वारा लेखांकन किया जाएगा, जो विभाग द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

(ज) लेखा परीक्षक भी विभाग के निदेशक और उपनिदेशक (आईसीपीएस) या लेखा अधिकारी (आईसीपीएस) द्वारा किए गए कोष से व्यय को प्रमाणित करेगा।

(झ) फंड के अनुमोदन या वितरण के लिए विभाग के द्वारा एक पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता– विभाग के निदेशक और उपनिदेशक (आईसीपीएस) या लेखा अधिकारी (आईसीपीएस) कोष के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
विनय कुमार, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th July, 2016

F. No. 61(812)/DD(CPU)/DWCD/Delhi Child Welfare Fund/11011-11026.—In exercise of the powers conferred by sections 105 and 110 read with clause (59) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and in supersession of the Delhi Child Welfare Fund Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules for administration of the Delhi Child Welfare Fund, namely :-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Delhi Child Welfare Fund Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definition – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016).

(b) "Account" means a Saving Bank Account (SBA) opened at State Bank of India, I.P. Estate, New Delhi-110002 vide account No. 30269984245 A/c. Delhi Child Welfare Fund.

(c) "Fund" means the Juvenile Justice Fund called the "Delhi Child Welfare Fund" (hereinafter referred to as the "Fund") for the welfare and rehabilitation of the children dealt with under the provision of the aforesaid Act. This fund was created by order No. F. 61(JJF)/AD-I/DSW/2007-08/8061-79 dated the 11th October, 2007, vide approval of the Department of Finance and Expenditure, Government of NCT of Delhi (U.O. No. 1006 dated the 5th October, 2007).

(2) Words and expressions defined in the Act and used but not defined in these rules have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Aims and Objectives - The fund shall be applied ;

(a) to implement programmes for the welfare, rehabilitation and restoration of children covered under the Act;

(b) to pay grant-in-aid to Non-Governmental Organizations;

(c) to do all other things that are incidental and necessary for the above purpose.

4. Source of Fund – The assets of the Fund shall include all such grants and contributions; recurring or non-recurring, from the Central Government, the Govt. of NCT of Delhi or any other statutory or non-statutory bodies set-up by the Central or Government of NCT of Delhi as well as the voluntary donations from any individual or organization.

5. Management of the Fund –

(a) All contracts and other assurances shall be made/executed in the name of the Delhi Child Welfare Fund and signed on their behalf by the Director of the Department of Women and Child Development and one Senior Officer of the Department.

(b) The Director of the department shall be delegated the powers of incurring expenditure and accepting funds from source listed in rule 4 above.

(c) The fund shall be managed in society mode under Integrated Child Protection Scheme and the accounting procedure shall be as per society mode.

(d) The Director, Department of Women and Child Development shall invest for time being the proceeds of sale or other disposal of the property as well as any money or property not immediately required to be used to serve the objective of the Fund, in any one or more of the modes of investment authorized by law for the investment of trust money.

(e) The assets/properties acquired wholly or substantially out of the Government grants, except those declared as obsolete and under serviceable or condemned in accordance with the procedure laid down in GFRs, shall not be disposed of without obtaining the prior approval of the authority which sanctioned the grant-in-aid.

(f) All withdrawals/transfer of funds shall be made by cheques or requisitions/Electronic Fund Transfer, as the case may be signed by the Director and an Officer of the Department.

(g) The regular accounts shall be kept of all the money and properties, and all incomes and expenditure of the Fund and shall be audited by a firm of Chartered Accountants, or any other recognized authorities as may be appointed by Department.

(h) The auditor shall also certify the expenditure from the fund made by the Director of the department and Deputy Director (ICPS) or Accounts Officer (ICPS).

(i) A transparent mechanism for approval or disbursement of the fund shall be made by the Department.

6. Authorized Signatory –Director of the Department and Deputy Director (ICPS) or Accounts Officer (ICPS) shall be the authorized signatories of the fund.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Special Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.